

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मनीष कुमार आदि बनाम माजमल आदि

दावा बाबत :- 88 RTI Act

मुकदमा नम्बर :- 154/2021

निर्णय दिनांक :- 10-12-2021

वादी की ओर से वकील मुन्शी राम जोरखानी की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3, 4 की ओर से वकील सूरजजीत किराणिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही योजना जिगासरी छोटी के खाता सं० 78/14 के खसरा सं० 185/1, 206/1, 235/1, 242/1, 254/1, 285/1 मुल 23-219 है कारणों लुषि मुनि में प्रतिवादी सं० 1 माजमल पि० मु० अमालु के नाम से 1/9 हिस्सा राफसव रिलास में देण है मे से प्रतिवादी सं० 1 माजमल पि० मु० अमालु का नाम ललमपन किमा जाकर वादीगण सं० 1 मनीष कुमार व वादीगण सं० 2 सचिपन कुमार को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 दिनेश कुमार को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 5 अनो बेवा लुषा कुमार को 1/9 हिस्सा के खातेपर ललतकार घोषित किये जाते है मुनि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना एक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 के पक्ष में व प्रतिवादी सं० 3, 5, 6, 7 ने अपना एक व हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 के पक्ष में व 10, 11, 12, 13 ने अपना सम्पूर्ण एक व हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 के पक्ष में त्याग कर मुद्र कर चिमा है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन मुद्रक अवा कर से व रदनमुक्त होने के अग्रता ही राफसव रिलास में अपना पंजीयन किये जाये खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। रजिनामा को डिक्री को आजायन जाये

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्रशासन गांव के संग अ-2021
काम - रजिनामा